UPEW010015312026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधिनियम),इटावा।

उपस्थितः आलोक कुमार श्रीवास्तव..... एच.जे.एस

(J.O.Code NO.U.P.1546)

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–458/2026

CNR NO–UPEW010015312026

स्वराजवीर उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र रामचरन निवासी–खेरा इटैली, थाना अछल्दा जिला औरैया।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ।

विशेष वाद संख्या–1827/2022

मु०अ०संख्या –222/2012

धारा–392,342,411 भा०द०संहिता।

थाना–भरथना,जिला–इटावा।

दिनांक 11.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त स्वराजवीर पुत्र रामचरन निवासी–खेरा इटैली,थाना अछल्दा जिला औरैया की ओर से विशेष वाद संख्या–1827/2012 मु०अ०संख्या–222/2012 धारा 392, 342, 411 भा०द०संहिता थाना–भरथना,जिला–इटावा के मामले में प्रस्तुत किया गया।

2. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

3. विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग करेगा। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.03.19 15:03:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे उपरोक्त वाद में झूंठा फसाया गया है, वह बिल्कुल निर्दोष है। वह उपरोक्त वाद में जमानत पर रिहा चल रहा था, वह अन्य मामले में जिला कारागार में निरूद्ध होने के कारण नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका एवं उसके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी कर दिये गये। उसको जब उक्त वाद में वारण्ट की सूचना प्राप्त हुई तब वह जिला कारागर में निरूद्ध था, तब न्यायालय द्वारा उसको जिला कारागार से दिनांक 27.08.2025 को तलब किया गया,तब से वह जिला कारागार में निरूद्ध है। उसने जानबूझकर गलती नहीं की है,मजबूरीवश यह भूल हुयी है। वह भविष्य में न्यायालय में उपस्थित आयेगा। अभियुक्त दिनांक 27.08.2025 से जिला कारागार इटावा में निरूद्ध है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और वह प्रतिभू पर रिहा होने के पश्चात नियत तिथियों पर हाजिर अदालत रहेगा। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त तर्कों के आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। इस अभियुक्त की पत्रावली मूल पत्रावली से पृथक की गयी है। प्रकरण में आरोप विरचित हो चुका है। प्रकरण जब साक्ष्य के स्तर पर नियत था तभी अभियुक्त अनुपस्थित हो गया तब उसके विरूद्ध बिना जमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये एवं जामिनदारों को नोटिस जारी किया। यह भी दर्शित है कि अभियुक्त उपरोक्त के जेल से तलब होने पर दिनांक–27.08.2025 को धारा–309 द०प्र०संहिता के तहत वारण्ट बनाकर उसको जेल भेजा गया। अभियुक्त प्रकरण में दिनांक 27.08.2025 से जिला कारागार इटावा में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अभियुक्त पूर्व में जमानत था,अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त स्वराजवीर पुत्र रामचरन निवासी–खेरा इटैली, थाना अछल्दा जिला औरैया की ओर से विशेष वाद संख्या 1827/2022 मु०अ०संख्या–222/2012 धारा–392,342,411 भा०द०संहिता थाना भरथना, जिला–इटावा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार

किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुवलिग 50,000/–(पचास हजार)रूपये का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की एक नवीन प्रतिभू एवं इस आशय का वचनपत्र कि वह प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित आयेगा,निष्पादित करने पर जमानत पर मुक्त किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश की एक प्रति जरिये ई–मेल जिला कारागार इटावा प्रेषित की जाये।

दिनांक 11.03.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

(J.O.Code NO.U.P.1546)